संख्या- 8 /2021/आई0/122632/चौरासी-1-2021

प्रेषक,

बी0 बी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट-माप अनुभाग-1 **लखनऊ:दिनांक 15 दिसम्बर, 2021**

विषय:- जनपद महोबा में निर्माणाधीन कार्यमानक प्रयोगशाला के भवन हेतु लागत पुनरीक्षित करते हुए अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-237/निविमावि-लेखा-7(25)भा0स0यो0 महोबा/2015, दिनांक 16 अगस्त,2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निर्माणाधीन कार्यमानक प्रयोगशाला भवन महोबा का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के पत्र सं0-5287/6-3(209)/विधिक माप/आग0/वा-3/2020, दिनांक 21.10.2020 द्वारा प्रेषित पुनरीक्षित विस्तृत आगणन रू0-45.81 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-27.40 लाख स्वीकृत करने का अनुरोध शासन से किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-304/84-1-2013-21बामा/2009टी0सी0-3, दिनांक 28-03-2013 एवं शासनादेश सं0-01/2017/956/84-1-2016-21बामा/2009टी0सी0-4, दिनांक 16-02-2017 द्वारा महोबा कार्यमानक प्रयोगशाला भवन के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0 कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0(पूर्ववर्ती नाम उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) द्वारा गठित प्रारम्भिक आगणन के सापेक्ष रू0-18.41 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति कतिपय शर्तो के अधीन प्रदान करते हुए क्रमश: धनराशि रू0-7,36,400.00 तथा रू0-11,04,600.00 अर्थात कुल धनराशि रू0-18,41,000.00 अवमुक्त की जा चुकी है।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्यमानक प्रयोगशाला भवन की लोक निर्माण विभाग द्वारा लागत कुर्सी दरें पुनरीक्षित होने के कारण विषयगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त नीचे दी गई तालिका के कॉलम-6 पर उल्लिखित पुनरीक्षित लागत की धनराशि रू0-45.81 लाख(रूपये पैतालिस लाख इक्यासी हजार मात्र) को स्वीकृत करते हुए कॉलम-7 पर अंकित अवशेष कुल धनराशि रू0-27.40 लाख(रूपये सत्ताइस लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेखाशीर्षक ''4059 लोक निर्माण कार्य पर पूॅजीगत परिव्यय- आयोजनागत-60- अन्य भवन-051-निर्माण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0102-द्वितीयमानक प्रयोगशाला /कार्यमानक प्रयोगशाला/ कैलीब्रेशन टावर्स का भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य'' में उपलब्ध बजट प्रावधान रू0-1000.00 लाख में से किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(रूपया लाख में)

क्र0	कार्यमानक	शासनादेश संख्या/ दिनांक	मूल	मूल स्वीकृत	पुनरीक्षित लागत	स्वीकृत की जा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स0	प्रयोगशाला का नाम		स्वीकृत लागत	लागत के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि		रही अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	महोबा	शासनादेश संख्या-304/84-1-2013-21बामा/2009 टी0 सी0-3,दिनांक 28-03-2013 एवं शासनादेश सं0-01/2017/956/ 84-1-2016-21 बामा /2009 टी0सी0-4, दिनांक16-02-2017	रू0-18.41	रू0-18.41	रू0-45.81	रू0-27.40
रूपये- सत्ताईस लाख चालीस हजार मात्र						

(1) नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा उक्त धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग की होगी।

(3) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(5) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(8) उक्त पुनरीक्षित लागत के अनुसार स्वीकृत की जा रही अवशेष धनराशि जनपद महोबा प्रयोगशाला भवन के लिए अन्तिम धनराशि होगी। इस कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि की मॉग नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा नहीं की जायेगी। कार्य समय से पूर्ण हो जाये इसका सतत् निरीक्षण नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप समय से पूर्ण करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) शासनादेश दिनांक 28-03-2013 एवं दिनांक 16-02-2017 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''4059 लोक निर्माण कार्य पर पूॅजीगत परिव्यय- आयोजनागत-60- अन्य भवन-051- निर्माण-01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0102- द्वितीयमानक प्रयोगशाला /कार्यमानक प्रयोगशाला/ कैलीब्रेशन टावर्स का भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-2395/दस-2021, दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(बी0 बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- /2021/आई0/122632(1)/चौरासी-1-2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 प्रयागराज।
3- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, महोबा।
5- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0(पूर्ववर्ती उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0), लखनऊ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ
8- निदेशक वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।